

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।

निविदा सूचना

जनपद न्यायालय, बाराबंकी हेतु 82.5 के.वी.ए. के दो अदद जनरेटर, 2 अदद वाटर कूलर मय आर.ओ. तथा 56 अदद डिजर्ट कूलर के कय हेतु सील्ड बन्द निविदाएं दि० 29.01.2016 को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। नियत समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त निविदायें उसी दिन समय 04.00 बजे प्रभारी अधिकारी नज़ारत के समक्ष जनपद न्यायालय बाराबंकी में खोली जायेंगी। निविदा हेतु धरोहर धनराशि ₹० 5,000.00 (₹० पांच हजार) रूपये नगद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश बाराबंकी के नाम देय हो, जो निविदा स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में निविदाकर्ता को वापस कर दिये जायेंगे।

निविदा के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय बाराबंकी की आफिसियल वेबसाइट ecourts.gov.in/Barabanki पर उपलब्ध है। निविदा के नियम व शर्तें उपरोक्त वेबसाइट, जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

Bame
(राजबहादुर सिंह मौया) *Bt-16*
प्रभारी अधिकारी नज़ारत/
अपर जिला जज,
न्या०सं०36, बाराबंकी।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचना पट पर चस्पा करने तथा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1. नोडल अधिकारी, बाराबंकी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल वेबसाइट एवं जनपद न्यायालय बाराबंकी की आफिसियल वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
2. जिला मजिस्ट्रेट/एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
4. स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
5. जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. कार्यालय लोक निर्माण विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. कार्यालय नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. कार्यालय जिला परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. अन्य प्रतिष्ठित स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।

82.5 के.वी.ए जनरेटर, वाटर कूलर मय आर0ओ0 एवं डिजर्ट कूलर हेतु निविदा

आमंत्रित करने के लिए नियम व शर्त

1. निविदा स्वीकृत किये जाने की दशा में 82.5 के.वी.ए जनरेटर, वाटर कूलर मय आर0ओ0 एवं डिजर्ट कूलर आपूर्ति कर्ता को नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बाराबंकी में स्वयं के व्यय पर न्यायालय में पहुचकर उन्हें यथास्थान स्थापित करना होगा।
2. आपूर्ति किये जाने वाले उक्त सामानों की वारण्टी/ गारण्टी को भी अंकित किया जाना अनिवार्य है।
3. निविदा कर्ता को निविदा के साथ 82.5 के.वी.ए जनरेटर, वाटर कूलर मय आर0ओ0 एवं डिजर्ट कूलर का मूल्य, उसका ब्रांड एवं ब्राण्ड का नाम भी अंकित कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी को यह अधिकार होगा कि वह निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दे।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, बाराबंकी होगा।

(राजबहादुर सिंह मौर्या)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला जज,
न्या0संस036, बाराबंकी।